

24.07.2019 :-

वकुलाय उपस्थित ।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से मूल दीवानी प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण में प्रार्थिया/वादिया भंवरीबाई का स्वर्गवास हो चुका है, इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी प्रार्थीगण/वादीगण ने भंवरीबाई के वारिसान को रेकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की, इसलिये प्रतिवादी की ओर से भंवरीबाई की मृत्यु की सूचना न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है जिसे रेकॉर्ड पर रखा जावे एवं भंवरीबाई की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके पक्ष में एवं विरुद्ध किये गये आदेश विधि अनुसार प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भंवरीबाई के संबंध में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही को अवैध व शून्य माना जावे।

इस प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. पेश किया गया जिसमें यह कहा गया कि भंवरीबाई का स्वर्गवास हो चुका है और उसके सभी विधिक वारिसान पत्रावली पर प्रारम्भ से ही रेकॉर्ड पर हैं जिसकी सूचनार्थ यह जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी/वादी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 मृतक भंवरीबाई के वारिसान हैं एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 6, 7, 8 मृतक भंवरीबाई के मृतक पुत्र मोहनलाल के वारिसान हैं। इस प्रकार भंवरीबाई के सभी वारिसान पहले से ही रेकॉर्ड पर हैं एवं उपरोक्त प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी के अतिरिक्त भंवरीबाई के अन्य कोई वारिसान नहीं हैं। अतः उक्त आशय का नोट वाद शीर्षक में अंकित फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र पर मूल प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को तथा प्रार्थी/वादीगण ने अपने जवाब/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि जब भंवरीबाई के सभी विधिक वारिसान रेकॉर्ड पर हैं तो उनके पक्ष एवं विपक्ष में किये गये सभी आदेश वैध एवं मान्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं वाद शीर्षक में मृतक वादिया का नोट अंकित किया जावे।

उभयपक्षकारान के उक्त तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब/प्रार्थना पत्र में वर्णित भंवरीबाई के विधिक वारिसान के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान हों, ऐसा कोई कथन वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जबकि सभी वारिसान प्रथमतः ही रेकॉर्ड पर हैं, तो वादिया की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी उनके पक्ष अथवा विपक्ष में किये गये सभी आदेश मान्य हैं। केवलमात्र न्यायालय के समक्ष जानकारी प्राप्त होने से वाद शीर्षक में इस बाबत् अंकन किया जाना आवश्यक है जिससे किसी भी पक्षकार के अधिकार व हक प्रभावित नहीं होंगे, न ही प्रकरण में पेचीदगियां उत्पन्न होंगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब/प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद शीर्षक में लाल स्याही से वादी संख्या 1 श्रीमती भंवरीबाई के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित किये जान के आदेश प्रदान किये जाते हैं, इसके लिए संशोधित शीर्षक की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 व 8 मध्यस्थता अधिनियम व जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादीगण दिनांकित 12.09.2018 हेतु पत्रावली 28.08.2019 को पेश हो।